

श. वाद सं. - 59/2025  
भकर सिंह बनाम गुलाब कुँवर  
श. वाद अ. धा. 53 RT Act.

24/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी व पेशेकार  
सरकार उपर। पत्रावली इंजार् जोडिस  
तामिली व स्टेट के जवाब हेतु दिनांक  
2/11/26 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

पुनः प्रस्तुत करके  
साक्षीकार रिपोर्ट 22/11/25  
के उपर बाद को  
प्रिजिक्ट किया है।

5/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी ने पुनः प्रस्तुत  
करके को ~~अपने~~ Right Reserve रखते हुए अंत  
काद को Withdraw किया है। जिससे अब उम  
काद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं  
होने से प्रकरण जोसे Withdraw (विट्टी)  
धारिज किया जाता है निर्णय सरे इंजलाम  
सुनाया गया। पत्रावली केसल सं 23/11/25 को  
नम्बर से कम है।

सहायक कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

सिरोही  
5/12/25